शान्ता देवी बनाम पप्पू जाट वगैराह (वाद प्र.सं. 12/2023)

29.01.2024— पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील के अनुपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विधिवत कितनी ही मर्तबा आवाजे दिलवाई गई इसके बावजूद भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वकील वादीया वाद प्रकरण में बहस करनी चाही वकील वादीया की बहस सुनी गई, बहस के दोरान वादपत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1293 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4977 रकबा 0.2908 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हक हिस्सा, पतिवादी संख्या 03 का 1/6 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसी अनुपात में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लडाई झगडा होता रहता है, वादीया राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर खाता अलग कर लगान अलग तय करवा विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादीया अपने हक व हिस्से अनुसार विभाजन कराने की इस्तदुआ की है। प्रतिवादी संख्या 01 ने कोई आपत्ति प्रकट नही कर हक हिस्से अनुसार विभाजन करने की सहमति प्रकट की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1293 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4977 रकबा 0.2908 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा की आराजियात का हिस्सा अनुसार एवं मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी है। वादीया ने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2069—2073 की प्रस्तुत की है। अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतएवं:

—: आदेश :—

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1293 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4977 रकबा 0.2908 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस् को मध्यनजर रखते हुए विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार भीलवाड़ा पक्षकारान की उपस्थिति में उपरोक्तानुसार विभाजन बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 15.03..2024 को वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पेश हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

7.03.2024

वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज सिगह से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी निवदेन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. शान्तादेवी पत्नि घनश्याम पलोड सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4977/1	0.1454	–
किता 1	0.1454 है0	–

2. श्री पप्पु पुत्र लहरू 1/3, बदामी पत्नि लहरू 1/3, मांगी पुत्री तहरू 1/3, जाट खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। रहन हिस्सा सम्पूर्ण आई.सी.आई. सी.आई. बैंक लि0 शाखा भीलवाडा

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4977/2	0.1454	–
किता 01	0.1454 है0	–

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

Ahlad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी मय कलक्टर देन
सहायक कलक्टर, भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1–श्रीमति शान्तादेवी पत्नि घनश्याम पलोड आयु वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

—–वादी

बनाम

1–श्री पप्पू पिता लहरू जाट आयु वयस्क निवासी जाटो का खेडा पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2–श्रीमति बदामी पत्नि लहरू जाट उम्र वयस्क निवासी जाटो का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3–श्रीमति मांगी पुत्री लहरू जाट उम्र वयस्क निवासी जाटो का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 12/2023 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैन उपस्थित प्रतिवादीगण की और से – इस वाद में तारीख 07.03.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.एस. **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है –

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. शान्तादेवी पत्नि घनश्याम पलोड सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4977/1	0.1454	–
किता 1	0.1454 है0	–

2. श्री पप्पु पुत्र लहरू 1/3, बदामी पत्नि लहरू 1/3, मांगी पुत्री तहरू 1/3, जाट खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। रहन हिस्सा सम्पूर्ण आई.सी.आई. सी.आई. बैंक लि0 शाखा भीलवाडा

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4977/2	0.1454	–
किता 01	0.1454 है0	–

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा